मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 47

माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1720.27	2930.09	4650.36	1699.98	3392.84	5092.82	1918.98	2495.73	4414.71
पूंजी		*0.02*	*...*	*0.02*	*0.02*	*...*	*0.02*	*0.02*	*...*	*0.02*
जोड़		**1720.29**	**2930.09**	**4650.38**	**1700.00**	**3392.84**	**5092.84**	**1919.00**	**2495.73**	**4414.73**
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	0.50	27.61	28.11	0.50	22.00	22.50	0.52	22.00	22.52
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
माध्यमिक शिक्षा										
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	2202	13.00	30.00	43.00	10.00	26.58	36.58	11.20	30.00	41.20
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2202	95.00	495.59	590.59	95.00	490.59	585.59	81.10	515.00	596.10
5. नवोदय विद्यालय समिति	2202	344.00	91.00	435.00	349.44	88.00	437.44	349.50	95.00	444.50
6. शिक्षा का व्यवसायीकरण	2202	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	1.70	...	1.70
	3601	30.50	...	30.50	40.50	...	40.50	40.75	...	40.75
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.25	...	0.25
	जोड़	*35.00*	*...*	*35.00*	*45.00*	*...*	*45.00*	*42.70*	*...*	*42.70*
7. विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा	2202	2.00	...	2.00	...	...	...	4.00	...	4.00
	3601	27.50	...	27.50	5.00	...	5.00	80.00	...	80.00
	3602	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*30.00*	*...*	*30.00*	*5.00*	*...*	*5.00*	*84.50*	*...*	*84.50*
8. अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	2202	2.70	...	2.70	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
	3601	11.80	...	11.80	10.95	...	10.95	16.20	...	16.20
	3602	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.20	...	0.20
	जोड़	*15.00*	*...*	*15.00*	*15.00*	*...*	*15.00*	*21.40*	*...*	*21.40*
9. शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (इनसैट सैल)	2202	13.00	...	13.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
	3601	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.70	...	4.70
	जोड़	*16.00*	*...*	*16.00*	*12.00*	*...*	*12.00*	*13.70*	*...*	*13.70*
10. विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास	2202	1.90	...	1.90	1.85	...	1.85	1.45	...	1.45
	3601	18.50	...	18.50	19.00	...	19.00	16.30	...	16.30
	3602	0.45	...	0.45	...	...	...	0.10	...	0.10
	जोड़	20.85	...	20.85	20.85	...	20.85	17.85	...	17.85
11. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	2202	9.70	...	9.70	5.70	...	5.70	8.30	...	8.30
12. पर्यावरण अभिमुखी कार्यक्रम	2202	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	2.60	...	2.60
13. जनसंख्या शिक्षा परियोजना (ई.ए.पी)	2202	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00	3.50	...	3.50
14. बोर्डिंग/छात्रावास सुविधाओं के लिए सहायता	2202	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	4.30	...	4.30
15. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन	2202	4.00	13.14	17.14	3.00	13.60	16.60	2.60	14.95	17.55
16. अन्य कार्यक्रम	2202	5.15	0.58	5.73	5.65	1.00	6.65	9.45	1.08	10.53
जोड़-माध्यमिक शिक्षा		**599.70**	**630.31**	**1230.01**	**574.14**	**619.77**	**1193.91**	**652.70**	**656.03**	**1308.73**
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा										
17. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2202	407.00	1000.00	1407.00	399.00	1000.00	1399.00	460.08	1030.68	1490.76
18. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2202	42.00	7.50	49.50	50.00	5.00	55.00	59.00	2.00	61.00
19. वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम	2202	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00
20. विश्वविद्यालय और महा-विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार	3601	...	600.00	600.00	...	1060.00	1060.00	...	2.81	2.81
21. भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	2202	12.90	8.00	20.90	12.90	13.14	26.04	15.35	16.00	31.35
22. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	2202	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	5.00	2.50	5.00	7.50
23. ग्रामीण विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	2202	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.90	...	0.90
24. शिक्षण कॉमनवेल्थ	2202	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	2.00	2.00
25. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	2202	2.00	2.73	4.73	2.50	2.73	5.23	2.50	3.25	5.75

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
26. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	2202	1.70	1.50	3.20	1.70	1.45	3.15	2.26	2.17	4.43
27. शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान	2202	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	2.00	2.00
28. अन्य कार्यक्रम	2202	5.25	1.80	7.05	3.61	3.76	7.37	4.41	1.81	6.22
	6202	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*5.25*	*1.80*	*7.05*	*3.61*	*3.76*	*7.37*	*4.41*	*1.81*	*6.22*
जोड़-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा		**501.85**	**1626.93**	**2128.78**	**499.72**	**2091.48**	**2591.20**	**575.00**	**1067.72**	**1642.72**
भाषाओं का विकास										
29. हिन्दी निदेशालय	2202	5.00	4.94	9.94	4.88	4.48	9.36	4.50	5.31	9.81
30. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	2202	1.50	1.30	2.80	1.59	1.31	2.90	1.80	1.36	3.16
31. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल	2202	3.50	3.50	7.00	3.85	3.94	7.79	4.25	4.50	8.75
32. हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण	2202	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	3601	9.50	...	9.50	9.50	...	9.50	9.75	...	9.75
	3602	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
	जोड़	*9.75*	*...*	*9.75*	*9.75*	*...*	*9.75*	*10.00*	*...*	*10.00*
33. क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	2202	0.75	1.79	2.54	1.35	2.86	4.21	1.71	3.50	5.21
34. राष्ट्रीय ऊर्दू भाषा संवर्धन परिषद	2202	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00
35. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	2202	3.25	2.47	5.72	2.75	2.37	5.12	3.29	2.75	6.04
36. एनसीपीएसएल	2202	0.40	...	0.40	0.10	...	0.10	0.40	...	0.40
37. उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति	2202	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	*1.75*	*...*	*1.75*	*1.75*	*...*	*1.75*	*1.00*	*...*	*1.00*
38. राष्ट्रीय कश्मीरी भाषा संवर्धन परिषद	2202	0.25	...	0.25	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
39. राष्ट्रीय भारतीय भाषा आयोग	2202	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10	0.02	...	0.02
40. आधुनिक भारतीय भाषाएं	2202	5.80	...	5.80	5.20	...	5.20	3.40	...	3.40
	3601	0.05	0.50	0.55	0.01	0.50	0.51	0.05	0.50	0.55
	जोड़	*5.85*	*0.50*	*6.35*	*5.21*	*0.50*	*5.71*	*3.45*	*0.50*	*3.95*
41. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2202	9.00	7.50	16.50	9.00	12.00	21.00	12.57	12.00	24.57
42. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	2202	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
43. संस्कृत शिक्षा का विकास	2202	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	3601	11.48	...	11.48	9.00	...	9.00	7.00	...	7.00
	3602	2.00	...	2.00	0.98	...	0.98	0.98	...	0.98
	जोड़	*13.50*	*...*	*13.50*	*10.00*	*...*	*10.00*	*8.00*	*...*	*8.00*
44. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण	3601	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50	10.00	...	10.00
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*12.00*	*...*	*12.00*	*12.00*	*...*	*12.00*	*10.50*	*...*	*10.50*
45. संस्कृत - अन्य	2202	0.50	...	0.50	2.78	...	2.78	2.50	...	2.50
जोड़-भाषाओं का विकास		**75.00**	**22.00**	**97.00**	**73.12**	**27.46**	**100.58**	**75.00**	**29.92**	**104.92**
सामान्य										
46. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना/ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां	2202	0.03	0.63	0.66	0.03	0.63	0.66	0.04	0.78	0.82
	3601	2.28	0.21	2.49	2.28	0.21	2.49	2.85	0.21	3.06
	3602	0.09	0.01	0.10	0.09	0.01	0.10	0.11	0.01	0.12
	जोड़	*2.40*	*0.85*	*3.25*	*2.40*	*0.85*	*3.25*	*3.00*	*1.00*	*4.00*
47. पुस्तक संवर्धन	2202	9.00	4.75	13.75	7.97	6.85	14.82	12.00	6.50	18.50
48. भारतीय राष्ट्रीय आयोग/यूनेस्को	2202	2.86	6.00	8.86	2.86	5.83	8.69	1.32	6.36	7.68
	2552	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.15	...	1.15
	जोड़	*3.86*	*6.00*	*9.86*	*3.86*	*5.83*	*9.69*	*2.47*	*6.36*	*8.83*
49. आयोजना मानदण्ड	2202	3.80	1.85	5.65	3.80	2.01	5.81	3.00	2.10	5.10
	3601	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	20.00	...	20.00
	जोड़	*21.80*	*1.85*	*23.65*	*21.80*	*2.01*	*23.81*	*23.00*	*2.10*	*25.10*
50. सांख्यिकी	2202	5.88	...	5.88	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
51. प्रशासन	2202	...	3.88	3.88	...	3.66	3.66	...	4.07	4.07
जोड़-सामान्य		**42.94**	**17.33**	**60.27**	**36.04**	**19.20**	**55.24**	**40.48**	**20.03**	**60.51**
जोड़-सामान्य शिक्षा		***1219.49***	***2296.57***	***3516.06***	***1183.02***	***2757.91***	***3940.93***	***1343.18***	***1773.70***	***3116.88***
तकनीकी शिक्षा										
52. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2203	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	10.00	...	10.00
53. समुदाय बहुशिल्प संस्थान	2203	50.90	1.80	52.70	23.62	1.80	25.42	50.90	2.00	52.90
54. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	123.60	330.00	453.60	175.00	330.00	505.00	130.60	346.50	477.10
55. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	2203	60.00	80.00	140.00	60.00	80.00	140.00	60.00	90.00	150.00
56. छात्रवृत्तियां/अप्रेंटरशिप प्रशिक्षण	2203	16.00	8.00	24.00	12.00	8.00	20.00	16.00	8.00	24.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
57. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर, और लखनऊ	2203	18.00	45.00	63.00	25.00	40.00	65.00	30.00	40.00	70.00
58. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2203	16.00	60.00	76.00	16.00	74.00	90.00	16.60	65.00	81.60
59. ए.आई.सी.टी.ई. तकनीकी शिक्षा ब्यूरो और इसकी समिति और बोर्डों का पुनर्गठन, पुरर्संरचना और सुदृढ़ीकरण	2203	70.49	15.00	85.49	60.00	15.50	75.50	108.42	17.00	125.42
60. प्रौद्योगिकी विकास मिशन	2203	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28	8.00	...	8.00
61. अपंगों के लिए पालीटेक्नीक	2203	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
62. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर	2203	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	35.00	...	35.00
63. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान	2203	5.00	6.50	11.50	5.50	6.25	11.75	8.66	7.00	15.66
64. राष्ट्रीय फोर्ज और फाउंड्री प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	3.00	4.50	7.50	3.00	4.25	7.25	3.49	5.00	8.49
65. आयोजना और वास्तुशिल्प विद्यालय	2203	2.95	5.00	7.95	5.95	4.70	10.65	3.00	5.50	8.50
66. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	2203	10.25	11.00	21.25	3.00	12.20	15.20	10.25	13.40	23.65
67. संत लौंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	13.00	...	13.00	11.00	...	11.00	14.69	...	14.69
68. इंजीनियरिंग कालेज, जम्मू	2203	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
69. आईआईटी, इलाहाबाद	2203	11.50	...	11.50	16.50	...	16.50	20.00	...	20.00
70. आईएसएम, धनबाद	2203	3.00	11.00	14.00	3.00	13.71	16.71	3.50	13.00	16.50
71. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवाएं	2203	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	...	...	...
72. अनुसंधान और विकास	2203	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50
73. आधुनिकीकरण और पुरानी प्रणाली को हटाना	2203	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	9.00	...	9.00
74. तकनीकी शिक्षा के अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र	2203	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00
75. शिशु प्रशिक्षण बोर्ड	2203	2.00	2.53	4.53	1.30	1.85	3.15	1.35	2.00	3.35
76. व्यावसायिक और विशेष सेवाओं (ईएपी) के लिए भुगतान	2203	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	2.50	...	2.50
77. अन्य कार्यक्रम	2203	7.01	0.19	7.20	7.01	0.28	7.29	6.02	0.19	6.21
	3601	...	25.00	25.00	...	20.00	20.00	...	85.00	85.00
	4202	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	जोड़	*7.03*	*25.19*	*32.22*	*7.03*	*20.28*	*27.31*	*6.04*	*85.19*	*91.23*
पूर्वोत्तर क्षेत्र										
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास										
78. पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, इटानगर	2552	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00
जोड़-तकनीकी शिक्षा		**500.00**	**605.52**	**1105.52**	**516.18**	**612.54**	**1128.72**	**575.00**	**699.59**	**1274.59**
खेलकूद और युवा सेवाएं										
79. शारीरिक शिक्षा	2204	0.24	0.35	0.59	0.24	0.35	0.59	0.24	0.40	0.64
	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-खेलकूद और युवा सेवाएं		**0.30**	**0.35**	**0.65**	**0.30**	**0.35**	**0.65**	**0.30**	**0.40**	**0.70**
कुल जोड़		***1720.29***	***2930.09***	***4650.38***	***1700.00***	***3392.84***	***5092.84***	***1919.00***	***2495.73***	***4414.73***
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना	22202	1220.45	...	1220.45	1183.06	...	1183.06	1344.18	...	1344.18
1. सामान्य शिक्षा	22203	490.00	...	490.00	496.18	...	496.18	565.00	...	565.00
2. तकनीकी शिक्षा	22204	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
3. खेलकूद और युवा सेवाएं	22251	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.52	...	0.52
5. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22552	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00
जोड़-केन्द्रीय आयोजना		**1721.25**	**...**	**1721.25**	**1700.04**	**...**	**1700.04**	**1920.00**	**...**	**1920.00**

* शहरी विकास मंत्रालय में कार्य परिव्यय शामिल है।

मांग संख्या 81		0.96	...	0.96	0.04	...	0.04	1.00	...	1.00

1. **सचिवालय** : इसमें सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था शामिल हैं।

2. **विवेकाधीन अनुदान** : स्कीम का नियंत्रण करने वाले नियमों के अनुसार पात्र मामलों में वित्तीय सहायता जारी करने के लिए यह राशि मानव संसाधन विकास मंत्री को सुपुर्द की गई है।

माध्यमिक शिक्षा :

3. **राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंघान तथा प्रशिक्षण परिषद** : एन सी ई आर टी माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग को उसकी शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सलाह तथा सहायता प्रदान करती है । यह अनुसंधान, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यालय पूर्व और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट समयबद्ध परियोजनाओं तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा उसको सौंपे गए कतिपय विशेष क्षेत्रों के कार्यकलापों को भी संचालित करती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक विकास कार्यक्रमों में शामिल हैं:-

i) पाठ्यक्रमों में विकास के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, कार्य पुस्तिकाएं, अध्यापकों की गाइड, अनुपूरक सामग्री आदि से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार करना।
ii) सेवा पूर्व और सेवाकालीन स्तर दोनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
iii) शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना
iv) शैक्षिक सर्वेक्षण कराना
v) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) आदि जैसे कार्यक्रमों का समर्थन करना।
vi) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज

4. **केन्द्रीय विद्यालय** : केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, उनका नियत्रंण व प्रबंध करने के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक पंजीकृत निकाय के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1965 में स्थानान्तरणीय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की गई थी। यह संगठन विदेशों में स्थित 2 केन्द्रीय विद्यालयों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 869 केन्द्रीय विद्यालयों का प्रशासन करता है ।

5. **नवोदय विद्यालय** : प्रतिभाशाली बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, देश के प्रत्येक जिले में एक आवासीय विद्यालय अर्थात् नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 1985-86 में निर्णय लिया गया था । इन विद्यालयों को स्थापित करने और इनका प्रबंध करने के लिए एक स्वायत्त संगठन अर्थात् नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई है । इस समय, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, पूना, शिलांग, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना में नवोदय विद्यालय संगठन के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं । अब तक 422 नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए जा चुके हैं । इस योजना के अंतर्गत, सभी विद्यार्थियों को आवास, खानपान, स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन, सामग्री आदि की सुविधा मुफ्त दी जाती है ।

6. **उच्चतर शिक्षा के व्यावसायिक शिक्षा :** उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1988 से कार्यान्वित की जा रही है और संशोधित कार्यक्रम 1993 से प्रचालन में है। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण वैयक्तिक रूप से रोजगार उपलब्ध कराने, प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच असंतुलन को कम करने और उच्चतर शिक्षा जारी रखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। इस समय, लक्षद्वीप के अतिरिक्त सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें योजना को कार्यान्वित कर रही हैं। योजना, राज्यों को प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने, क्षेत्र-व्यावसायिक सर्वेक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक, पाठ्क्रम गाईड, प्रशिक्षण नियमावली, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान विकास प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह एन जी ओ और स्वयं सेवी संगठनों को विशिष्ट नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। योजना द्वारा अभी तक 6519 विद्यालयों में 18862 अनुभागों का विशाल बुनियादी ढांचा सृजित किया गया है इस प्रकार +2 स्तर के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों का स्थान्तरण किया जा सके और अभी तक 616 करोड़ रुपये के अनुदान जारी किए गए हैं ।

1996 में ओ आर जी द्वारा और 1999 में सीईपीआरए द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया था और इन अध्ययनों द्वारा पता लगाए गए मुख्य दोषों में राज्यों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को कम प्राथमिकता दिया जाना शामिल है। प्रचालन अनुसंधान दल के निष्कर्षों के अनुसार, योजना से उत्तीर्ण होने वालों को कार्य देने में सीमित परिणाम प्राप्त हुए हैं और यह देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण देने के लिए सबसे बड़े एकल कार्यक्रम के रूप में भी उभर कर सामने आया है। निदेशक (एनसीएआरटी) की अध्यक्षता में गठित एक कार्यकारी दल ने योजना का गहन अध्ययन किया, कार्यान्वयन में अक्षमता पर और विभिन्न पहलुओं के संबंध में बहुत सी सिफारिशें कीं। तदनुसार, ध्यान को लचीलापन, सक्षमता आधारित पाठ्यक्रमों आदि को आरंभ करने के द्वारा गुणवत्ता व्यावसायिक कार्यक्रमों की ओर परिवर्तित किया गया। बजट को भी 1999-2000 में 10.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000-2001 में 35.00 करोड़ रुपए कर दिया गया। बहुत से गुणवत्ता उपाय, जिनमें फिक्की/सीआईआई के तत्वावधान में प्रमुख औद्योगिक उपस्करों से संयोजन शामिल है, सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालयों में सहयोगी कार्यक्रमों को प्रस्तुति प्रस्तावित है। नवीन गुणवत्ता व्यावसायिक कार्यक्रम चला रहे स्वयंसेवी/गैर-सरकारी संगठनों को प्रात्साहित किया जा रहा है।

7. **विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा** : कम्प्यूटर साक्षरता और विद्यालयों में अध्ययन (सी.एल.ए.एस.एस.) स्कीम को 1-4-99 से समाप्त कर दिया गया है। कम्प्यूटर शिक्षा के लिए एक संशोधित स्कीम तैयार की जा रही है।

8. **विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आई ई डी सी)** : इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य विकलांग बच्चों को स्कूलों में विद्यालय प्रणाली में बनाए रखने में सहायता पहुंचाकर सेवाएं उपलब्ध कराना है । योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहायक उपस्कर, प्रोत्साहन और विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ।विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरी सहभागिता) सरकारों को यह सुनिशिचत करने के लिए एक सांविधिक उत्तरदायित्व सौंपता है कि सभी विकलांग बच्चे 18 वर्ष की आयु तक उचित वातावरण में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। आई ई डी सी की योजना इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्यस्थों में से एक है। इस क्षेत्र में विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रचालन व अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है।

9. **शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम** : देश में प्राथमिक विद्यालयों से ऊपर के विद्यालयों में 1987-88 में एक संशोधित योजना आरंभ की गई जिसमें इनसेट उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए प्रयासों को समेकित करना, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यक्रमों संबंधी योग्यताओं को पैदा करना तथा रेडियो/टी.वी. के महत्व को बढ़ाना शामिल है । इस योजना में रंगीन टी.वी. सेटों की पूर्ति करने के लिए उपग्रह के माध्यम से ई.टी.वी. प्रसारण वाले राज्यों को 75 प्रतिशत सहायता और ऐसी राज्य सरकारों/सभी संघ राज्य क्षेत्रों में चुने हुए प्रारम्भिक/प्राथमिक विद्यालयों को रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स देने के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 398420 आरसीसीपी और 81187 रंगीन टीवी स्वीकृत किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत कार्यक्रम उत्पादन को मुख्य उद्देश्य मान कर आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में छह राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (एस आई ई टी) स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों को चलाने के लिए 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

10 **विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास**: इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं/पुस्तकालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विज्ञान से संबंधी सामान की पूर्ति और विज्ञान व गणित के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं को अपनाने के लिए स्वयं सेवी एजेन्सियों को भी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

11. **मुक्त विद्यालय कार्यक्रम**: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का उद्देश्य उन लोगों को सार्थक, सतत शिक्षा प्रदान करना है जिन्होंने शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के एक विकल्प के तौर पर मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नियामक राष्ट्रीय नीति प्रलेखों के अनुरूप प्राथमिक से डिग्री स्तर तक पाठ्यक्रमों और सामान्य, जीवन

समृद्धि कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी एवं विकासात्मक शिक्षा के अवसर खो दिए हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने नवशिक्षित, विद्यालय छोड़ने/विद्यालय से निकाले गए तथा एनएफई पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए मुक्त बुनियादी शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम शुरू करने की पहल की है। राज्य मुक्त विद्यालयों की स्थापना को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय राज्य मुक्त विद्यालयों को संसाधन सहायता तथा परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है और इसने कई पाठ्यक्रम शुरु किए हैं।

12. **विद्यालयी शिक्षा के लिए पर्यावरणीय अभिमुखता :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थियों के मन में प्रकृति के लिए सम्मान और उसकी उदारता का अति शोषण न करने का भाव पैदा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक संगठनों, पंजीकृत समितियों, शैक्षणिक संस्थाओं, लाभ न कमाने वाली कम्पनियों आदि को इस क्षेत्र में नवीन तथा प्रयोगात्मक परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

13. **राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना :** राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना अप्रैल, 1980 में आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में जनसंख्या शिक्षा का संस्थानीकरण करना था। यह परियोजना पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनपीएफ) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना के चौथे चक्र (1998-2001) को "जनसंख्या और विकास शिक्षा" के रूप में जाना जाता है। कुछ गतिविधियां विभिन्न स्वायत्त संगठनों अर्थात् के.मा.शि.बोर्ड, एनओएस, एनसीटीई, केवीएस और एनवीएस को उप संविदा की गई हैं।

14. **माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं को मजबूत करना:** माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं को मजबूत करने की स्कीम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर तबकों की किशोरियों की भर्ती को बढ़ाने के लिए पात्र स्वैच्छिक संठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जिलों, विशेषकर जहां मुख्यतया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी है, और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को दी जाती है।

स्कीम के तहत निम्नलिखित प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं-

i) 5000/ रुपए प्रति वर्ष प्रति छात्रा को भोजन तथा कुक और वार्डन के वेतन के लिए यदि छात्रावास बोर्डिंग हाऊस में कम से कम 25 छात्राएं वास करती हैं जो गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा ix-xii के छात्र हैं, वे इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करेंगे बशर्ते छात्रावास में छात्राओं की समग्र संख्या 50 हो;
ii) फर्नीचर (शैया सहित) बर्तन और मूलभूत मनोरंजन के साधनों, विशेषकर खेलकूद सामग्री, वचनकक्ष उपकरण और पुस्तकों की खरीद के लिए प्रति छात्रा 1500/ रुपए का एकबारगी अनुदान
iii) हमारी संशोधित स्कीम के अनुमोदित होने के बाद छात्रावास के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

15. **केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन:** माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा के लिए भारत में विद्यालयों को सहायता पहुंचाना और उसका प्रबंधन करना है । इस समय प्रशासन देश के विभिन्न भागों में 88 विद्यालय चला रहा है । प्रशासन, मेधावी तिब्बती विद्यार्थियों को स्नातक से निचले स्तरों पर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और उन्हें उनके लिए आरक्षित स्थानों में एम.बी.बी.एस., इंजीनियरिग, मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी सहायता करता है। प्रशासन, मुख्याध्यापकों और प्रधानाचार्यों सहित प्रशंसनीय अध्यापकों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करता है और इसने मसूरी स्थित अपने प्रशिक्षण स्कंध में अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है ।

16. **अन्य कार्यक्रम** : इनमें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिताओं, युद्ध के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेना बलों के कार्मिकों के बच्चों को शिक्षा में रियायत दने, अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरुस्कार देने, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं।

विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा :

17. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** : इसकी स्थापना विश्वविद्यालय के स्तरों में समन्वय और निर्धारण के प्रयोजन से सन् 1956 में संसद के अधिनियम के अन्तर्गत की गयी थी । इसके कार्यो के निष्पादन के लिए अधिनियम के अंतर्गत आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के विकास और रखरखाव के लिए अनुदान वितरित व आबंटित करने का अधिकार प्राप्त है और अन्तरविश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना प्रचालन करने का अधिकार प्राप्त है ।

18. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयु)** : जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को, और विशेष रूप से लाभ वंचित समूह को, उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने, नियमित शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने और महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों, जैसे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरु करने के लिए सितम्बर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय देश के शैक्षणिक पैटर्न में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली और मुक्त विश्वविद्यालय को बढ़ावा देगा और ऐसी प्रणालियों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करेगा । यह कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन सांविधिक प्राधिकरण के रूप में एक दूरस्थ शिक्षा परिषद स्थापित की गई है ।

19. **वैज्ञानिक अंनुसंधान को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाने वाला यह कार्यक्रम मूलतः कुछ तय किए गए क्षेत्रों में अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान कार्यकलापों का विकास हो सके।

20. **विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार** : यह प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित वेतन पुनरीक्षा समिति की सरकार द्वारा यथास्वीकृत सिफारिशों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

21. **भारतीय समाजविज्ञान अनुसंधान परिषद** : भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना मुख्यतः अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करने, अनुसंधान अध्येतावृत्तियों को पुरस्कृत करने, नव साक्षरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना, अनुसंधान संस्थाओं को विकासात्मक अनुदान देने और अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने, डाटा प्रोसेसिंग में मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, प्रलेखन सेवाओं के केन्द्रों का विकास करने, चुनिंदा समाजविज्ञान साहित्य के प्रकाशन और समाज विज्ञान से सम्बद्ध सेमीनारों और कार्यशालाओं के आयोजन और प्रायोजन को वित्तपोषित करने के लिए की गई थी।

22. **भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर)** : भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) की स्थापना ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए निधियां उपलब्ध कराने और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में की गई थी। यह कला, साहित्य और दर्शन तथा पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, पुरालेखशास्त्र और हस्तलिपियों के ऐतिहासिक अध्ययन जैसे सम्बद्ध विषयों सहित ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। परिषद फेलोशिप, अध्ययन व यात्रा अनुदान और प्रकाशन सब्सिडियां प्रदान करता है। यह सेमिनारों और शैक्षणिक सम्मेलनों का आयोजन करता है और ऐतिहासिक अनुसंधान करने के लिए देश के भीतर और बाहर यात्रा के लिए वित्तीय सहायता देता है।

23. **राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद** : राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद को 19 अक्तूबर, 1995 को हैदराबाद में केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया है । इसके लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मागांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के रूपान्तरण के लिए सूक्ष्म आयोजना की चुनौतियों को लिया जा सके और गांधीवादी प्राथमिक शिक्षा और नई तालीम के कार्यक्रमों में कार्यरत नेटवर्क को सुदृढ़ करने और संस्थाओं को विकसित करने का काम लिया जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद ने गैर लाभ संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को प्राथमिक शिक्षा, नई तालीम सम्बन्धी प्रकाशन, प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन आदि का कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

24. **कामनवैल्थ आफ लर्निंग** : कामनवैल्थ आफ लर्निंग (सीओएल) की स्थापना राष्ट्रमंडल देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से की गई थी। इसका कार्य दूरवर्ती शिक्षा द्वारा प्रदत्त क्षमता का प्रयोग करके राष्ट्रमंडल के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ज्ञान के अवसर सृजित करना और उन तक पहुंच बढ़ाना है। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है। सीओएल में सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से निधिपोषण किया जाता है। सीओएल इसमें 1988 से अंशदान कर रहा है। शिक्षा सचिव शासी निकाय-कामनवैल्थ आफ लर्निंग के बोर्ड आफ गवनर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के सम्बन्ध में सीओएल इ.गां. रा. मु. वि. भारत में राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को सहायता प्रदान कर रहा है।

25. **भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, (आईआईएएस)** : भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) अनुसंधान के लिए 1965 में गठित एक आवासीय केन्द्र है और यह चुनिंदा विषयों जैसे मानव विज्ञान, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान आदि में रचनात्मक विचारों के संवर्धन को प्रोत्साहित करता है। आईआईएएस, शिमला प्रतिवर्ष उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान करता है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सेमिनार आयोजित करता है जिसमें सैद्धान्तिक मुद्दों और समकालीन समस्याओं की जांच करने के लिए संस्थान के शैक्षणिक बिरादरी के सदस्यों के साथ सहभागिता के लिए असाधारण विद्वानों और विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जाता है।

26. **भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आइसीपीआर), नई दिल्ली** : भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) की स्थापना सरकार द्वारा दर्शनशास्त्र और सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिषद फेलोशिप प्रदान करता है, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं और पुनश्चर्या पाठयक्रम आयोजित करता है, सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, विद्वानों को विदेशों में आयोजित सम्मेलनों/सेमिनारों में अपने पेपर प्रस्तुत करने के लिए यात्रा अनुदान देता है, बड़ी और लघु परियोजनाओं को प्रायोजित करता है और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के प्रकाशन और एक त्रैवार्षिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

27. **शास्त्री भारत कनाडाई संस्थान** : शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान की स्थापना भारत सरकार और कनाडा की संयुक्त घोषणा द्वारा मुख्यतया शैक्षणिक क्रियाकलापों की सुविधाएं प्रदान करके भारत और कनाडा के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1968 में की गई थी। भारत सरकार 1968 में भारत सरकार और संस्थान के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुसार संस्थान को निधियां प्रदान कर रही है। समय-समय पर पूरक करार पर हस्ताक्षर करके इस करार को नवीकृत किया गया है। सातवें करार का कार्यकाल 31.3.99 को समाप्त हो चुका है जिसके अनुसार संस्थान को 1.4.94 से 31.3.99 तक की अवधि के दौरान 5 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की गई है। करार-VIII पर हस्ताक्षर करने के लिए और संस्थान को 1-4-1999 से 31-3-2000 के दौरान सहायता जारी रखने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। करार के नवीकरण के लम्बित रहते वर्ष 1999-2000 के दौरान संस्थान को 1.20 करोड़ रुपए का तदर्थ अनुदान अदा किया जा चुका है।

28. **अन्य कार्यक्रम** : इनमें उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे कि डा. जाकिर हुसैन मैमोरियल कालेज ट्रस्ट, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अंशकालिक शिक्षा कार्यक्रम को अनुदान सहायता तथा विकास और आर्थिक अनुसंधान हेतु और बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा विश्वसंस्थान को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

भाषाओं का विकास :

29–37. **आधुनिक भारतीय भाषायें और साहित्य** : भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन और विकास के लिए प्रकाशन निकालने, टंकण-कक्षा, सुलेख प्रक्षिशण, आदि के लिए स्वंयसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किताबों के प्रकाशनों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, संगठनों तथा पुस्तकालयों की मुफ्त संवितरण के लिए विभिन्न भाषाओं में किताबों के थोक में क्रय के लिए भी प्रावधान मौजूद है। इस सम्बन्ध में मंत्रालय को अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत निकायों जैसे केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल आगरा, नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन ऑफ उर्दु लैंग्वेज, नई दिल्ली, नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन आफ सिन्धी लैंग्वेज, बडोदरा, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, से सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के लिए तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आधुनिक हिन्दी भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भी वित्तीय सहायता मिलती है।

उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिए तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दु पढ़ाने के लिए मानदेय प्रदान करने वित्तीय सहायता की योजना भी भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1999 में आरंभ की गई थी।

38. **कश्मीरी भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद** : कश्मीरी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद और राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद की तर्ज पर एक राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है। परिषद का एकमात्र उद्देश्य लिखित और उच्चारित दोनों रूपों में कश्मीरी भाषा का विकास है। परिषद कश्मीरी भाषा की हस्तलिपियों की रक्षा भी करेगी और श्रव्य, दृश्य और प्रिंट माध्यमों से लोक गीतों का संरक्षण करेगी। योजना आयोग ने सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी है। परिषद के लिए पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को टिप्पणी के लिए भेजा गया है और अपेक्षित टिप्पणियों की प्राप्ति पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति मांगी जाएगी।

39. **राष्ट्रीय भारतीय भाषा आयोग :** एक राष्ट्रीय भारतीय भाषा आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव है जो देश में भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा और सरकार को समय-समय पर भारतीय भाषाओं के संवर्धन, विकास और प्रसार के लिए लिए गए उपायों की सिफारिश करेगा।

40. **अन्य :-** इनमें अंग्रेजी प्रशिक्षण संस्थानों, जिला अंग्रेजी केन्द्र और अंग्रेजी भाषा में किताबों के प्रकाशन के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान शामिल है।

41. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान** : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, संस्कृत के परिरक्षण, संस्कृत में परम्परागत शिक्षा-अध्यापन और अनुसन्धान के आधुनिकीकरण और प्रचार के लक्ष्य सहित वर्ष 1970 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया। सभी स्थापित या अपनाए गए केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों के प्रबंध के अतिरिक्त संस्कृत सीखने को प्रोत्साहित करना शामिल है। संस्थान द्वारा गठित संस्थानों में अध्यापन के लिए डिग्रियां और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इसे पूरे भारत में व्याप्त लगभग 900 स्वयंसेवी संस्कृत संगठनों, संस्थानों और संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय सहायता देने का उत्तरदायित्व भी दिया गया है जो संस्कृत में संवर्द्धन तथा अनुसंधान में संलग्न है और अधिक सुधार करने और स्नातकोत्तर अध्ययन प्रदान करने के लिए संभाव्यता रखने वाले 19 स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थानों और दो स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थानों को आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों की स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। संस्थान विद्वानों को उनके मूल/अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए और विद्वानों द्वारा सम्पादित दुलर्भ संस्कृत पांडुलिपियों के बड़ी संस्या में प्रकाशन के लिए भी अनुदान देता है। संस्थान द्वारा विभिन्न शास्त्रों/संस्कृत अध्ययन की नियमावली में युवा विद्वानों और विधार्थियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए शास्त्र चूड़ामणि योजना के तहत संस्कृत के प्रतिष्ठित सेवानिवृत अध्याय विद्वानों को भी नियुक्त किया गया है। संस्थान भारत और विदेशों में संस्कृत के साधारण प्रशिक्षुओं के लिए हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत भाषा सीखने के लिए दो स्तरों पर अर्थात् (क) संस्कृत में प्रारम्भिक पाठ्यक्रम, प्रथम वर्ष और (ख) संस्कृत में प्रारम्भिक पाठ्यक्रम, द्वितीय वर्ष के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है।

42–45. **अन्य** : महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, इस मंत्रालय के अन्तर्गत क्रमशः और वैदिक अध्ययन के संवर्धन में सहायता के लिए एक स्वायत्त सगंठन है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के जरिए निम्नलिखित के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही हैः (i) गरीबी की हालत में रह रहे श्रेष्ठ संस्कृत के पंडित (ii) उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (iii) माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना (iv) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण और (v) विभिन्न संस्कृत को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाएं, मान्य संस्कृत विश्वविद्यालयों, एन जीओ से प्राप्त संस्कृत में अनुसंधान/अनुसंधान परियोजनाओं के लिए और (6) विद्यालयों, संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यापीठों में संस्कृत की शिक्षा देने की प्रणाली में सुधार

तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अध्यापकों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान/मान्य विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा बोर्ड ।

46. **राष्ट्रीय छात्रवृति योजना** : योग्यता के आधार पर निर्धन लेकिन मेधावी छात्रों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

47–51. **अन्य** : इसके अन्तर्गत, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नेशनल बुक ट्रस्ट, यूनेस्को, डब्ल्यू. आई.पी.ओ. तथा विदेश स्थित शिक्षा संस्थाओं को अंशदान आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

तकनीकी शिक्षा

52. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसके शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

53. **समुदाय बहुशिल्प संस्थान** : समुदाय बहुशिल्प संस्थान का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के लिए परिवेश को नुकसान पहुंचाए बिना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए समुदाय का सतत विकास करना, सूक्ष्म स्तरीय आयोजना और मूल स्तर पर लोगों की भागीदारी के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना में दक्षता अभिमुखी तकनीकी/व्यवसायिक शिल्पों में आयु, लिंग अथवा योग्यता को ध्यान में रखे बगैर स्थापन एवं संस्कृति संबंधी साधारण जरूरत के आधार पर अल्पावधि प्रशिक्षण सृजन और महिलाओं से कड़ी मेहनत पर रोक लगाने पर बल दिया गया है। यह प्रशिक्षण विशेषरूप से बेरोजगार /अल्प रोजगार वाले युवकों/विद्यालय/महाविद्यालय से पढ़ कर निकले छात्रों, शोषित और सुविधा- रहित वर्गों जिनमें महिलाएं, अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्ग शामिल हैं, की जरूरतों इन बहुशिल्प संस्थानों में प्रौद्योगिकी अन्तरण, तकनीकी सहायता और समुदाय में विज्ञान और प्रौद्योगिक संबंधी जागृति लाना जैसे कार्य भी किए जाते हैं।

54. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान** : मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थापित छह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं। आईआई टी भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शिक्षा, अनुसंधान और सेवाओं के माध्यम से ज्ञान के उत्थान, प्रसार और प्रयोग में लगे हैं। आईआईटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं में अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर तथा शोध आधारित स्नातकोत्तर और डाक्टरी कार्यक्रमों को पेश करते हैं।

55. **क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज** : प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उपक्रमों के रूप में इन 17 कालेजों की स्थापना की गई थी । इनमें से अधिकांश क्षेत्रीय कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा डाक्टोरल कार्यक्रमों की भी व्यवस्था है।

56. **अप्रेंटसशिप प्रशिक्षण योजना** : यह योजना समय-समय पर यथासंशोधित अप्रेंटसशिप अधिनियम, 1961 के अनुसार तथा केन्द्रीय अप्रेंटसशिप परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार भिन्न-भिन्न उद्योगों और अन्य संगठनों से उत्तीर्ण स्नातक इंजीनियर, डिप्लोमाधारी और 10+ 2 (व्यवसायिक) पाठ्यक्रम उर्त्तीण करने वालों को व्यवहारिक प्रशिक्षण में अवसर उपलब्ध कराती है।

57. **भारतीय प्रबंध संस्थान** : अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलूर और लखनऊ में भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना प्रबंध के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी । संस्थानों ने प्रबंधकीय विज्ञान के प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है और मानव संसाधन विकास के विशिष्ट क्षेत्र में योगदान दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने दो और भारतीय प्रबंध संस्थान एक इंदौर में और एक कालीकट में स्थापित किए हैं।

58. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर** : वर्ष 1909 में स्थापित भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर एक मान्य विश्वविद्यालय एवं अग्रणी संस्थान है जिसने इंजीनियरी विज्ञानों और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के एक उत्कर्ष केन्द्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। यह संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बहुत से मुख्य क्षेत्रों में पुरोगामी कार्य कर रहा है।

59. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद** : ए.आई.सी.टी.ई. जो एक सांविधिक संगठन है, के प्रमुख कार्यों में देश में समुचित आयोजना तथा तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास शामिल है। मुख्य परिषद के साथ-साथ ए.आई.सी.टी.ई. के पास कार्यकारी समिति, अध्ययन बोर्ड, प्रमाणन बोर्ड और सात क्षेत्रीय समितियां हैं। जिन की सहायता से एआईसीटीई नीतिगत निर्णय लेता है और देश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए काम करता है।

60. **प्रौद्योगिकी विकास मिशन** : प्रौद्योगिकी विकास मिशन पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में स्वाद्य प्रसंस्करण अभियान्त्रिकी, एकीकृत डिजाईन और प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण, छायाचित्रण साधन तथा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकी और साधन, प्राकृतिक संकट प्रशमन, दुरसंचार विस्तार केन्द्र और आसूचना स्वचलन, नई भौतिक और जेनेटिक अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं ।

61. **अपंगों के लिए पोलीटेक्नीक** : योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग, आंशिक रूप से गूंगे व बहरे) व्यक्तियों को मुख्य धारा में मिलाने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 50 विद्यमान पोलीटेक्निकों के उन्नयन करने और उनका चयन करने के लिए है। यह संभावना है कि इन 50 पोलीटेक्निकों से विभिन्न पाठ्यक्रमों से प्रतिवर्ष लगभग 1250 अक्षम नियमित छात्र और अल्पाविधिक क्रमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 5000 अक्षम विद्यार्थी पास हो कर निकलेंगे।

62. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर** : भारत सरकार ने 61.69 करोड़ रुपए की कुल लागत से ग्वालियर में यह संस्थान स्थापित किया है। संस्थान के केन्द्रीय शैक्षिक कार्यक्रम में साढ़े पांच वर्ष का एकीकृत कार्यक्रम शामिल है जिसकी प्रवेश योग्यता उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र है जिसके बाद आसूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध में डिप्लोमा प्राप्त होगा तथा चुनिन्दा क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री की प्रवेश योग्यता सहित आसूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त होगा। यह भी समझा जाता है कि यह संस्थान कला जानकारी के क्षेत्र के विस्तार के लिए तथा उद्योग में व्यावसायिकों के लिए आसूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध के मुख्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त आईआईआईटीएंडएम, ग्वालियर अनुसंधान, अभिकल्प और विकास, परामर्श, फैलोशिप कार्यक्रमों के संबंध में भी काम करेगा।

63. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई** : भारत सरकार द्वारा यू एन डी पी की सहायता से वर्ष 1968 में एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, (एन आई आई ई) की स्थापना की गई। यह औद्योगिक इंजीनियरी एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में दीर्घावधि एवं अल्पावधि पाठ्यक्रमों, उद्योग/संगठन की विशेष जरूरतों के अनुरूप उद्योग-उन्मुखी कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है, पाठ्यचर्या (अक्षरमाला) शिक्षण सामग्री, प्रतिमानों एवं मानकों को विकसित करता है तथा औद्योगिक इंजीनियरी और सम्बद्ध विषयों में संलग्न अन्य संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है, प्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है, पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करता है, भारतीय अपेक्षाओं के अनुरूप औद्योगिक इंजीनियरी की तकनीकियां अपनाता है, औद्योगिक इंजीनियरी और उत्पादकता तकनीकियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य संस्थाओं/संगठनों और व्यवसायिक निकायों को सहयोग देता है।

64. **राष्ट्रीय संधानशाला (फाउण्डरी) और भट्टी (फोर्ज) प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची** : भारत सरकार द्वारा यू एन डी पी की सहायता से वर्ष 1966 में राष्ट्रीय संधानशाला और भट्टी प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई एफ एफ टी) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, संधानशाला, भट्टी और सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों का संचालन करना है और इन उद्योगों को प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन और प्रलेखन सेवाएं प्रदान करना है। इसमें (i) संधानशाला और भट्टी प्रौद्योगिकी में एम. टेक पाठ्यक्रम, (ii) विनिर्माण इंजीनियरी में चार वर्षीय एकीकृत एसोशिएटशिप पाठ्यक्रम, (iii) संधानशाला और भट्टी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था है और यह अल्पावधि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करता है।

65. **आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली** : भारत सरकार द्वारा वर्ष 1955 में स्थापित नगर एवं देहात आयोजना विद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना है। वास्तुकला के क्षेत्र में भी शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1959 में वास्तुकला विभाग को शामिल किए जाने के बाद इस विद्यालय को पुनः आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) का नाम दिया गया। वर्ष 1979 में

आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय को मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय वास्तुशिल्प और आयोजना के क्षेत्रों में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रहा है। यह विद्यालय अल्पावधि पाठ्यक्रमों, विचार-गोष्ठियों, कार्यशालाओं, विशेष कार्यक्रमों, और प्रदर्शनियों का आयोजन भी करता है।

66. **तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान :** बहुशिल्प अध्यापकों को प्रशिक्षण देने एवं बहुशिल्प शिक्षा के समुचित सुधार हेतु विभिन्न अन्य कार्यकलाप शुरू करने के लिए साठ के दशक की मध्यावधि के दौरान भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और चेन्नई में चार तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। भोपाल और चेन्नई तथा हाल ही में चण्डीगढ़ स्थित संस्थान में तकनीकी शिक्षा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के अलावा, इन संस्थानों में संसाधन विकास, विस्तार कार्य, परामर्शदायी एवं परियोजना निर्माण जैसे कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

67. **सन्त लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लागोवाल जिला संगरूर, पंजाब :** सन्त लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सोसायटी पंजीकरण के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त संस्थान है जो पंजाब राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 500 एकड़ जमीन पर बना एक प्रतिष्ठित एवं पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान है। इस संस्थान की शैक्षणिक प्रणाली नेरिस्ट की पद्धति पर तैयार की गई है। जिसमें त्वरित गतिशीलता और इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों के भिन्न-भिन्न स्तरों पर एकीकृत रूप में शाखा-वार पाठ्यक्रम अर्थात् प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्री, लागू किए गए हैं। शिक्षा संबंधी कार्यक्रम गैर-पाम्परिक, लागत प्रभावी, लचीले, माडयूलर और ऋण पर आधारित और विकसित उद्यमशीलता युक्त है जिनमें स्वरोजगार और बहु-विषयी प्रविष्टि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करते हुए विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को जारी रखने पर बल दिया गया है। इस संस्थान में 12 प्रमाणपत्र, 10 डिप्लोमा और 8 डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है।

68. **जम्मू कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी, जम्मू :** जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार ने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू में कालेज आफ इंजीनियरिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 23.11.92 को जम्मू की यात्रा की और 1993-94 के दौरान कालेज की स्थापना के लिए तात्कालिक अनुदान के रूप में 200.00 लाख रु0 की राशि देने के लिए सहमत हो गए। तदनुसार, वर्ष 1993-94 के वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को 200.00 लाख रु0 की राशि जारी की गई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सिविल, मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रानिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पाठ्यक्रम अनुमोदित किए।

69. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद :** भारत सरकार ने 41.10 करोड़ रुपए की लागत पर इलाहाबाद में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। संस्थान के प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों में 10+2 की प्रवेश स्तर की योग्यता सहित $5^{1/2}$ वर्ष का समेकित कार्यक्रम शामिल होगा। संस्थान ने आईटी में बी.टेक पाठयक्रम पहले ही शुरू कर दिया है।

संस्थान उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा, राष्ट्र को असाधारण व्यावसायिक जनशक्ति प्रदान करेगा, अग्रणी स्तर के अनुसंधार व विकास करेगा और उद्योग और अन्य इच्छुक एजेन्सियों को विश्लेषण और सलाह प्रदान करेगा और देश में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटरों और सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों में कार्यरत संस्थाओं का एक नेटवर्क बनाने का प्रयास करेगा। यह राष्ट्रीय कृतिक बल जिसने सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी स्तर के कई उत्कृष्टता केन्द्रों की सिफारिश की थी के भी अनुरूप है, जिनमें पहला इलाहाबाद में स्थापित किया जाने वाला पहला संस्तुत केन्द्र है।

70. **इंडियन स्कूल आफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद :** भारत सरकार द्वारा इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की स्थापना 1926 में औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबन्ध के संबंधित क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के अतिरिक्त खनन, पैट्रोलियम, मशीनरी, खनिज इंजीनियरिंग और भूमि विज्ञानों के क्षेत्रों में राष्ट्र की मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। राष्ट्र की सेवा में इस की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, भारत सरकार ने 1967 में आईएसएम को स्वायत्तता प्रदान की; और तब से यह विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम 1956 के तहत एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रहा है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। आईएसएम धनबाद को इस समय मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

71. **साफ्टवेयर क्षमता बढ़ोतरी कार्यक्रम (साफ्टकेप) :** यह कार्यक्रम अब प्रस्तावित "सूचना प्रौद्योगिकी में मानवसंसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" के भीतर मिला दिया गया है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास संबंधी कृतिक बल की सिफारिशों के अनुसरण में किया जाना है। देश में सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग की चुनौती को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास संबंधी कृतिक बल ने 47 विशिष्ट सिफारिशें दी हैं। रिपोर्ट में किए गए वृहत अनुमानों के आधार पर 10वीं पंच वर्षीय योजना अवधि के अन्त तक 2000 करोड़ रुपए का निवेश परिकल्पित है। इस निवेश का अधिकांश हिस्सा पहले 2-3 वर्षों के दौरान होगा। वर्ष 2000-2001 के दौरान एक सांकेतिक प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। प्रमुख पहलों का वास्तविक कार्यान्वयन वर्ष 2001-2002 के दौरान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों में संगणन सुविधाएं और संयोजकता का उन्नयन; प्रौद्योगिकी संवर्धित सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा; संकाय विकास अभिक्रम; पाठ्यक्रम और विषय वस्तु पहलें; पुस्तकालय का आधुनिकीकरण और सहायक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण और उद्योग जगत से अन्तर्सम्बन्धों को बढ़ावा देना शामिल है। इन पहलों को समग्र संस्थागत विकास और संस्थाओं की नेटवर्किंग के प्रयासों के साथ शुरु किया जाएगा। स्नातकोत्तर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान पर सर्वाधिक बल दिया जाएगा। आशा है कि इन पहलों से देश जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति का संबंध है, संख्या और गुणवत्ता चुनोतियों का सामना कर सकेगा। देश में साफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र में उत्पादकता में मूल्य श्रंखला को बढ़ाकर वृद्धि की जाएगी। आशा है कि देश विश्व सूचना प्रौद्योगिकी बाजारों के वृहत्तर हिस्से पर पकड़ बनाएगा और अपनी विश्वव्यापी अग्रणी स्थिति को बनाए रखेगा। और अन्ततः इस कार्यक्रम से देश के तकनीकी शिक्षा प्रणाली में अनुकूलता बनने की आशा है ताकि वे हमारे गिर्द घट रहे परिवर्तनों के साथ चल सकें।

72. **अनुसंधान और विकास :** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतःक्षेत्रों और नए उभरते हुए क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित करना ही अनुसंधान और विकास योजना का उद्देश्य है। योजना का उद्देश्य वर्तमान प्रौद्योगिकी, सामाजिक आर्थिक विकास के कारण तकनीकी प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना है। योजना के क्षेत्र में, विशेषकर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने वाले तकनीकी संस्थान शामिल हैं।

योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा कार्यान्वित की गई थी जो कि 1996-97 तक मंत्रालय के तहत एक संविधिक इकाई थी। तथापि, केन्द्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कोलेजों (आरईसी) के संबंध में यह निर्णय किया गया कि वित्तीय वर्ष 1997-98 से योजना मंत्रालय में कार्यान्वित की जाएगी। 1997-98 के बाद से योजना मंत्रालय में कार्यान्वित की जा रही है।

73. **आधुनिकीकरण और अप्रचलन की समाप्ति :** आधुनिकीकरण और अप्रचलन की समाप्ति की स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपकरणों, मशीनिरियों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और पुस्तकालयों और सम्बन्धित सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आधुनिकीकरण इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रम के मद्देनजर तकनीकी संस्थाओं की कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

स्कीम का कार्यान्वयन 1996-97 तक मंत्रालय के अधीन एक संविधिक निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा किया जाता था। तथापि, केन्द्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि स्कीम का क्रियान्वयन 1997-98 वित्तीय वर्ष से मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। स्कीम 1997-98 से मंत्रालय में क्रियान्वित की जा रही है।

74. **तकनीकी शिक्षा के अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रः** तकनीकी शिक्षा के अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक शामिल हैं-

i) प्रौद्योगिकी के निर्णायक क्षेत्रों, जहां कमजोरी विद्यमान है, में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।
ii) उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का सृजन।
iii) नई और/अथवा उन्नत प्रौद्योगिकियों के कार्यक्रम और विशिष्ट क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना।

स्कीम का कार्यक्रम 1996-97 तक मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा किया जाता था। तथापि केन्द्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के संबंध में यह निर्णय किया गया था कि स्कीम का क्रियान्वयन 1997-98 वित्तीय वर्ष से मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। स्कीम 1997-98 के बाद से मंत्रालय में क्रियान्वित की जा रही है।

75. **शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (बोट्स):** मुम्बई, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई में स्थित चार क्षेत्रीय शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड हैं। ये स्वायत्त संगठन हैं, जिनका वित्त पोषण पूरी तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा किया जाता है।

शिक्षु अधिनियम के अधीन, इन क्षेत्रीय बोर्डो को ग्रेजुएट इंजीनियरों, तकनीशियनों (डिप्लोमा धारक) और तकनीशियनों (व्यावसायिक) के संबंध में शिक्षु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय स्कीम का क्रियान्वयन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। स्कीम के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षुओं को वृत्तिका दीजा रही है जो केन्द्र सरकार और उद्योगों प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा 50:50 के आधार पर वहन की जाती है।

76. **व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान:** देश में पोलीटेक्नीक्स के उन्नयन के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरु की गई तकनीकी शिक्षा i और तकनीकी शिक्षा ii परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से "तकनीकी शिक्षा iii" नामक एक अन्य परियोजना शुरु करने का निर्णय किया है। परियोजना में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू व कश्मीर और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया जाएगा जिन्हें पहले की दो परियोजनाओं में शामिल नहीं किया जा सका था। पहले ही दो परियोजनाओं की तरह, तकनीकी शिक्षा iii में भी केन्द्रीय मार्गदर्शन, सहायता और मानीटरिंग व्यवस्था का एक छोटा घटक होगा जिसके लिए एक नई राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एनपीआईयू) स्थापित करने का प्रस्ताव है। एनपीआईयू के मुख्य कार्य राज्यों को परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन में दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करना, परियोजना कार्यान्वयन की मानीटरिंग और समीक्षा, परामर्शी सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था, शिक्षा, पोलीटेक्नीक्स और तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न निकायों में सम्पर्क बनाना होगा।

77. **अन्य कार्यक्रम :** इनमें एशियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी, बैंकाक, तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों को वेतनमानों का संशोधन करने के लिए सहायता-अनुदान, एजुकेशनल कंसलटेन्टस इंडिया लि., छात्र परामर्श विकास कार्यक्रम और अनुसंधान सूचना स्कीम शामिल हैं।

78. **पूर्वात्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान:** पूर्वात्तर प्रदेश के विकास के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र तथा प्रायोगिक विज्ञान श्रृंखला में दक्षतापूर्ण जनशक्ति का सृजन करने के लिए 1986 में इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, की स्थापना की गई। जबकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा था तो इसका वित्तपोषण पहले उत्तर-पूर्वी परिषद के माध्यम से किया जा रहा था। 1994-95 से संस्थान का वित्तपोषण माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को एक बेजोड़ संस्थान माना गया है जिसने माडुलर कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रस्तुत की है, प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है और इसमें प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक विज्ञान के 6 से 7 प्रमाण-पत्र, 7 डिप्लोमा और 7 डिग्री पाठ्यक्रम हैं। ये माडयूल व्यवसायिक स्तरों जैसे कि तकनीशियनों, पर्यवेक्षणों और इंजीनियरों के साथ सम्पर्क रखने की व्यवस्था करते हैं। आधार और डिप्लोमा माडयूल न्यूनतर माडयूल/माडयूलों में विद्यार्थियों के अपेक्षित कार्य निष्पादन और कतिपय पूरक पाठयक्रमों को पूरा करने की शर्त के अधीन अगले उच्चतर माडयूल को प्रविष्टि देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक माडयूल के अन्त में विद्यार्थियों का एक निश्चित प्रतिशत चाहे तो स्वेच्छा से अथवा अनिवार्य रूप से इसे छोड़कर चला जाता है। इस माडयूलर एवं अभिनव शैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवसायीकरण की नीति को प्रोत्साहन देना और केवल इच्छुक विद्यार्थियों को ही उच्चतर अध्ययनों की अनुमति देने के साथ-साथ अन्य विद्यार्थियों को कार्य करने अथवा अपनी उद्यम संबंधी दक्षताओं का विकास करने की अनुमति देना है।

नेरिस्ट को पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के साथ अनन्तिम रूप से जोड़ा गया है। इस संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

79. **योग को प्रोत्साहन :** इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य योग में शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अखिल भारतीय स्वरूप के योग संस्थानों को भी योग में अनुसंधान और प्रशिक्षण अध्यापकों सहित अनुरक्षण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।